सं-ए.12018/02/2022-Estt.III

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

स्थापना-III अनुभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली110-011

दिनांक: ....

अधिसूचना

यह मंत्रालय **राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय , स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली में सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी** के मौजूदा **07 (सात)** पद संबंधी भर्ती नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संदर्भ में प्रारूप भर्ती नियम तैयार किए गए हैं तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

.2 भर्ती नियमो को अंतिम रूप देने हेतु निर्दिष्ट नोडल एजेंसियों के साथ भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव लेने के पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिसूचना की तिथि से **तीस(30)** दिनों की अवधि के भीतर इस मामले पर सभी हितधारकों से टिप्पणिया, यदि कोई हो, आमंत्रित की जाती है। विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियाँ/सुझाव/टिप्पणियों को इस मंत्रालय द्वारा आवश्यकता/नियम अनुसार उचित विचार किया जाएगे।

3. टिप्पणियाँ/सुझाव अधोहस्ताक्षरी को कक्ष्य सं.330-सी, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली – 110011 अथवा jaiswal.r72@nic.in में भेजी जा सकती हैं।

(राजीव जायसवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेली-011 :23061323

[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2022

सा.का.नि.................. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय, भर्ती नियमावली, 2016 में, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय में सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय भर्ती नियम, 2022 होगा।
   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान-उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण** और वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता- वह व्यक्ति-
   क. जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, या
   ख. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीकार्य विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति– जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	*07 (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन लेवल-7 (44900-142400)	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू नहीं	(i) 43% प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा (ii) 57% प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक	<u>प्रोन्नति:</u> पुस्तकालय एवं सूचना सहायक जो वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6 (35400-112400/-) या समकक्ष में है एवं ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और यथाविहित संस्थान से पुस्तकालय और	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति एवं आमेलन पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

		संविदा सहित) / आमेलन द्वारा	पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। नोट 1: जहां कनिष्ठों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली हो और उन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो तो उनके साथ उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाए बशर्ते कि उनकी ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से कम न हो अथवा दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, और अपने ऐसे कनिष्ठों, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, के साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। नोट 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 या जिस तिथि से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा लागू हुआ हो, से पहले नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित लागू तदरूपी ग्रेड पे या वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) / आमेलन केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों का विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अधिकारी जो:-	होंगे:- 1 अपर महानिदेशक / उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – अध्यक्ष 2. निदेशक, राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य 3 निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 4. उप निदेशक प्रशासन (संबंधित) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय –सदस्य	

			I मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी है, या II मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स लेवल-6 (35400-112400/-) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा रखते हों, और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो:- I किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री या II केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या शैक्षणिक संस्थानों में किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का व्यावसायिक अनुभव **वांछनीय:** I किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री या II किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा टिप्पणी 1 केंद्र सरकार के एक ही या किसी अन्य संगठन या		

			विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद की प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) अवधि सहित प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्प कालीन संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनपत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी-2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से ज़नवरी, 2006 या छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन मान लागू करने की तारीख से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग द्वारा अनुशंसित सिफारिशों के आधार संशोधित ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा किंतु इसमें वे मामले शामिल नहीं हैं जहां एक से अधिक संशोधन पूर्व वेतनमानों का समान ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले किसी ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह लाभ केवल उन पदों के लागू होगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतन मान बिना किसी अपग्रेडेशन के केवल सामान्य रिप्लेसमेंट ग्रेड है। टिप्पणी 3: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति के सीधे क्रम में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 4: केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी ही आमेलन पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र होंगे।		